

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)




अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

रामनिवास बनाम चुनी आदि

किस्म - दावा

GCMS No.- 2024/54

मुकदमा नं - 37/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
06.03.2024	<p>वकील वादी द्वारा दावा घोषणात्मक, रिकॉर्ड दुरुस्ती, चिर निषेधाज्ञा का पेश किया गया। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.04.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>फसकरान के अभिभावक उपस्थित पी.ओ.साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते आईदा कार्यवाही हेतु दिनांक.15.06/24...को पेश हो।</p>	
03 ⁰⁴ / ₂₄ 17 ⁰⁵ / ₂₄	<p>वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना- पत्र मिसल पेशी में लेने का प्रस्ताव किया जिस पर मिसल आज ही पेशी में ली गई। साथ ही एड जे.ए.ए. वादी के कादनी अधिकारों को सुरक्षित रखने हुए एवं सक्षम-आप्त में वाद पेश करे ही अनुमति के साथ वाद विद्वा करने हेतु जे.ए.ए. प्रस्ताव किया जिस पर सुना गया। वृंदि पत्रावली प्रारम्भित स्टेज पर है। इसलि सुना कि जे.ए.ए. दावा विद्वावले के भाषा पर वादी के कादनी अधिकारों को सुरक्षित रखने हुए जे.ए.ए. स्वीकार किया जाता है दावा इति स्टेज पर खरीज किया जाता है पत्रावली केसल शुभम् देकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़</p>	<p style="text-align: right;"></p>